

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य का सीलिंग आदेश)

पत्रांक : 541 / वाद सं० आर-1602/एस-6/2022

दिनांक: 6-5-2023

श्री प्रशान्त कृसाली द्वारा डोमाल प्रोजेक्शन स्टोर स्थल आमवाला तरला तपोवन इन्कलेव रोड देहरादून।

विपक्षी श्री प्रशान्त कृसाली द्वारा डोमाल प्रोजेक्शन स्टोर स्थल आमवाला तरला तपोवन इन्कलेव रोड देहरादून द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (14) में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी लिए विना स्थल पर स्वीकृत मानचित्र सं० आर-1544/22-23 से विचलन कर आर०एस० बी० को प्रभावित कर निर्माण किया जा रहा है।

अनाधिकृत निर्माण के प्रत्यावेदन के आधार पर विपक्षी को उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत दिनांक 20-12-2022 को कारण बताओ नोटिस, एवं अधिनियम की धारा 28 (1) के अधीन विकास निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी करते हुए वाद संख्या आर-1602/एस-6/2022 योजित किया गया। विपक्षी से अपेक्षा की गई कि दिनांक 03-01-2023 को प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

नियत तिथि दिनांक 03-01-2023 को विपक्षी उपस्थित रहे। इसके उपरान्त सुनवाई हेतु दिनांक 24-1-2023, 14-2-2023, 21-03-2023 को सुनवाई हेतु नियत, जिसमें विपक्षी उपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा उक्त चालान शुदा निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किया गया।

क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता की जांच आख्या दिनांक 18-03-2023 के अनुसार विपक्षी स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थल पर निर्माण कार्य रोकने के उपरान्त भी निर्माण कार्य नहीं रोक जा रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबुझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है। विपक्षी द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण कार्य को सील किया जाने की संसुति की गई है। जिसके सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा कोई सन्तोष जनक जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आप द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (14) में निर्दिष्ट अनुमति के विपरीत विचलन कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

पन्नावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र०) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। चालान शुदा निर्माण को सील किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पन्नावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

आदेश

विपक्षी श्री प्रशान्त कृसाली द्वारा डोमाल प्रोजेक्शन स्टोर स्थल आमवाला तरला तपोवन इन्कलेव रोड देहरादून द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (14) में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी लिए विना स्थल पर स्वीकृत मानचित्र सं० आर-1544/22-23 से विचलन कर आर०एस० बी० को प्रभावित कर निर्माण किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण में सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 10/05/23 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न हटाने दें। क्योंकि उक्त कार्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डीनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चरपा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।